



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 भाद्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 606) पटना, सोमवार, 21 सितम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर 2020

एस0ओ0 166, दिनांक 21 सितम्बर 2020—बिहार कराधान विवादों का समाधान अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश 11, 2020), की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य कर आयुक्त, 21 सितम्बर, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको बिहार कराधान विवादों का समाधान अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश 11, 2020) के उपबंध लागू होंगे।

[(सं0 बिक्री-कर/संशोधन-06/2020(खण्ड-1)-1738)]

आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

21 सितम्बर 2020

एस० ओ० 166, दिनांक 21 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री-कर/संशोधन-06/2020(खण्ड-1)-1738)]

आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 21st September 2020

S.O. 166, dated 21st September 2020– In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Bihar Settlement of Taxation Disputes Ordinance, 2020 (Bihar Ordinance 11, 2020), the Commissioner of State Tax hereby appoints the 21st day of September, 2020, as the date on which the provisions of the Bihar Settlement of Taxation Disputes Ordinance, 2020 (Bihar Ordinance 11, 2020), shall come into force.

[(File No.Bikri-kar/Sansodhan-06/2020(Part-1)-1738)]

By order,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax -cum- Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 606-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>